न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–15/2015/टोंक (2015/00072)

1. जगदीश पुत्र हरिनारायण, जाति गुर्जर, निवासी कुरावदा, तह0 निवाई, जिला टोंक ।
2. रामखिलाड़ी पुत्र हरिनारायण, जाति गुर्जर, नि0 कुरावदा,तह0 निवाई, जिला टोंक ।
3. भजन पुत्र हरिनारायण, जाति गुर्जर, नि0 कुरावदा, तह0 निवाई, जिला टोंक
4. हरकेश पुत्र हरिनारायण, जाति गुर्जर, नि0 कुरावदा,तह0 निवाई, जिला टोंक
5. रामफूल पुत्र हरिनारायाण, जाति गुर्जर, नि0 कुरावदा, तह0 निवाई, जिला टोंक ।
6. प्रेम पुत्री हरिनारायण, जाति गुर्जर, नि0 कुरावदा, तह0 निवाई, जिला टोंक।
7. लछमा पुत्री हरिनारायण, जाति गुर्जर, नि0 कुरावदा, तह0 निवाई, जिला टोंक ।
8. रामा बेवा हरिनारायण, जाति गुर्जर, नि0 कुरावदा, तह0 निवाई,जिला टोंक।

अपीलांट्स

बनाम

1. रामबिलास पुत्र गंगदेव, जाति गुर्जर, निवासी कुरावदा, तह0 निवाई, जिला टोंक ।
2. रामबिलास पुत्र कल्याण, जाति गुर्जर, निवासी कुरावदा, तह0 निवाई, जिला टोंक ।
3. तहसीलदार, निवाई, जिला टोंक ।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरुद्ध निर्णय तहसीलदार, निवाई, जिला टोंक अंतर्गत नामांतकरण संख्या 511 दिनांक 09.2. 2015 .

उपस्थितः–

1. श्री गिरीश शर्मा, वकील अपीलांट्स ।
2. श्री वी0पी0सिंह, वकील रेस्पो0 संख्या 1.

निर्णय

दिनांक :– 01.10.2018

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, निवाई, जिला टोंक (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित नामांतकरण संख्या 511 निर्णय दिनांक 09.02. 2015 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, निवाई ने निर्णय दिनांक 9.2.2015 द्वारा गंगदेव पुत्र गेंदा गुर्जर, निवासी कुरावदा, तह0 निवाई की जमाबंदियों की जोत संख्या 20, 21, 56, 57, 58, 59, 97 में वर्णित भूमि क्रमशः खाता संख्या 20 में किता 2 खसरा नंबर 90 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खाता संख्या 21 में खसरा नंबर 89 रकबा 5 बिस्वा, खाता संख्या 56 में खसरा नंबर 282 रकबा 5 बिस्वा, खाता संख्या 57 में किता 2 खसरा नंबर 1/5 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा, खाता संख्या 58 में किता 4 खसरा नंबर 81/1 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा, खाता संख्या 59 में किता 8 खसरा नंबर 278/1 रकबा 33 बीघा 12 बिस्वा, खाता संख्या 97 में खसरा नंबर 110 रकबा 6 बिस्वा वाके ग्राम कुरावदा, तह0 निवाई में वर्णित भूमियों को जरिये नामांतकरण संख्या 511 निर्णय दिनांक 9.2.2015 अनुसार मृतक गंगदेव पुत्र गेंदा की भूमियों का दाखिल खारिज करते हुए उसके पुत्र रेस्पो0 संख्या 1 के नाम स्वीकृत किया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 की पत्रावली प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 की बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि गंगदेव पुत्र गेंदा लाऔलाद फौत हुआ है तथा उसकी पत्नि मोत्या 55 वर्ष कल्याण पुत्र नाथू, निवासी सेदरिया, तह0 निवाई के नाते चली गई थी तथा वहां पर कल्याण पुत्र नाथू के नुत्फे व मौत्या की कोख से रामबिलास पैदा हुआ था । इस प्रकार रेस्पो0 संख्या 1 रामबिलास गंगदेव का पुत्र नहीं होकर कल्याण पुत्र नाथू का पुत्र है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि गेंदा के दो पुत्र गंगदेव व हरिनारायण थे । गंगदेव नाऔलाद फौत हुआ है तथा अपीलांटस दूसरे पुत्र हरिनारायण की संतान होकर गंगदेव की आराजियात के विधिक वारिसान है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि ग्राम सेदरिया खुर्द की मतदाता सूची सन् 1988, 1994, 2009 तथा वोटर लिस्ट के पहचान पत्र सन् 2012, बी0पी0एल0कार्ड ग्राम सेदरियाखुर्द, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के जॉब कार्ड व राशनकार्ड से यह भली–भांति साबित है कि मोत्या कल्याण

पुत्र नाथू, नि0 सेदरिया की पत्नि है तथा रेस्पो0 संख्या 1 रामबिलास कल्याण का पुत्र है । जागा की पौथी में भी गंगदेव को लाऔलाद फौत होना बताया गया है । रामबिलास के विरूद्ध फौजदारी मुकदमें में तफ्तीश में रामबिलास, गंगदेव का पुत्र नहीं पाया गया तथा मान0 अपर मुख्य न्यायिकय मजिस्ट्रेट, निवाई ने भी यह माना है कि गंगदेव व कल्याण फौत हो चुके है तथा मोत्या भी फौत हो चुकी है, इस कारण डी0एन0ए0 टेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है इसके बावजूद भी थानाधिकारी, निवाई ने रामबिलास का डी0एन0ए0 टेस्ट एकतरफा में करवाकर तहसीलदार, निवाई को दिया तथा तहसीलदार, निवाई ने उसको आधार मानकर गलत रूप से रामबिलास को गंगदेव का पुत्र मानने में त्रुटि कारित की है जबकि रेस्पो0 संख्या 1 के तथाकथित पिता गंगदेव फौत होने से डी0एन0ए0 टेस्ट कानूनन कोई महत्व नहीं रखता था । विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस में आगे कथन किया कि गंगदेव लाऔलाद फौत होने से तथा रामबिलास गंगदेव का पुत्र नहीं होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के तहत मृतक गंगदेव द्वारा छोड़ी गई समस्त भूमि का दाखिल खारिज अपीलांट्स अपने हक में कराने के अधिकारी है परन्तु इसके बावजूद तहसीलदार ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेशों के कराये गये डी0एन0ए0टेस्ट को आधार मानकर रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में नामांतकरण संख्या 511 तस्दीक करने में विधिक त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा ग्राम सेदरिया में अपने पिता कल्याण के स्थान पर गंगदेव के नाम से राशनकार्ड व जाति प्रमाण पत्र बनवा लिया था जिस पर उसके विरूद्ध फौजदारी मुकदमा भी दायर किया गया था जिसमें रेस्पो0 संख्या 1 एवं ग्राम सेदरिया के सरपंच को दोषी पाया गया था । विद्वान वकील अपीलांट्स ने आगे कथन किया कि गंगदेव की विरासत को लेकर विवाद होने से तहसीलदार को नामांतकरण की कार्यवाही से बचना चाहिये था किन्तु तहसीलदार ने ऐसा न कर विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार कर तहसीलदार, निवाई द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में पारित नामांतकरण संख्या 511निर्णय दिनांक 9.2.2015 को अपास्त किया जावे तथा विवादित आरायिजात का नामांतकरण अपीलांट्स के पक्ष में तस्दीक किये जाने के आदेश पारित किये जावे । xx

4- विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने जवाब बहस में कथन किया कि तहसीलदार, निवाई का निर्णय दिनांक 9.2.2015 एवं नामांतकरण संख्या 511 विधिसम्मत् है । रेस्पो0 संख्या 1 की माता मोत्या का विवाह गंगदेव से हुआ था तथा गंगदेव ही रेस्पो0 संख्या 1 का जायंदा पिता है जिसकी पुष्टि डी0एन0ए0 टेस्ट से भी हो चुकी है। विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में आगे कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 के विरूद्ध दर्ज एफ0आई0आर0 में पुलिस द्वारा जांच किये जाने पर उसके विरूद्ध लगाये गये आरोप झूंठे पाये गये है तथा रेस्पो0 संख्या 1 को गंगदेव का पुत्र होना माना है । अपीलांट्स ने विवादित आराजियात बाबत् सहायक कलक्टर, निवाई के न्यायालय में राजस्व वाद प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन है

जिसमें सफल होने के उपरांत ही अपीलांट्स कोई हक व अधिकार प्राप्त कर सकते है किन्तु वर्तमान में रेस्पो0 संख्या 1 जो कि गंगदेव का जायंदा पुत्र है जिसकी पुष्टि डी0एन0ए0 टेस्ट से भी हो चुकी है, उसे उसके पिता की संपति से वंचित नहीं किया जा सकता है । रेस्पो0संख्या 1 ने स्वतंत्र गवाहों से यह साबित किया है कि रेस्पो0 संख्या 1 गंगदेव से पैदा हुआ है किन्तु जब रेस्पो0 संख्या 6 माह का था तब उसकी माता मोत्या एवं रेस्पो0 संख्या 1 को गंगदेव ने घर से बाहर निकाल दिया था जिसके पश्चात् उसकी माता मोत्या ने 5–6 वर्ष पश्चात् कल्याण पुत्र नाथू के साथ नाता विवाह किया था किन्तु रेस्पो0 संख्या 1 गंगदेव से पैदा होकर गंगदेव का ही पुत्र है । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में यह भी निवेदन किया कि अपीलांट्स ने जो अपंजीकृत इकरारनामा–बक्शीश दिनांक 3.11.2011 को पेश किया है वह फर्जी है क्योंकि प्रथमतः उक्त इकरारनामा बक्शीश अपंजीकृत है द्वितीय उक्त बक्शीनामे का निष्पादन गंगदेव की मृत्यु दिनांक 4.11.2011 से एक पूर्व का है जो संदेहास्पद है । अपीलांट्स उक्त बक्शीशनामे को सक्षम न्यायालय से प्रोबेट कराये बिना किसी प्रकार का हक व अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलबध संपूर्ण दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण कर विधिसम्मत् निर्णय पारित किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट्स अपास्त की जावे । xx

5- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । पटवारी हल्का श्रीरामपुरा के द्वारा तहसीलदार, निवाई के समक्ष यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि ग्राम कुरावदा के मृतक खातेदार गंगदेव पुत्र गेंदा गुर्जर की विरासत के नामांतकरण को लेकर पक्षकारान में विवाद है जिस पर तहसीलदार, निवाई ने प्रकरण दर्ज कर बाद जांच दिनांक 9.2.2015 को रेस्पो0 संख्या 1 रामबिलास के पक्ष में नामांतकरण तस्दीक किये जाने के आदेश पारित किये जिसकी पालना में नामांतकरण संख्या 511 तस्दीक किया गया है । इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि गेंदा के दो पुत्र गंगदेव व हरिनारायण है । अपीलांट्स हरिनारायण के पुत्र है जिन्होंने अपील में कथन किया है कि गंगदेव नाऔलाद फौत हुआ था जिसने अपनी समस्त विवादित आराजियात जरिये इकरारनामा–बक्शीश दिनांक 3.11.2011 द्वारा अपीलांट्स के पक्ष में निष्पादित कर दी थी जिससे वे मृतक खातेदार गंगदेव के विधिक वारिसान है तथा रेस्पो0 संख्या 1 गंगदेव का पुत्र न होकर मोत्या के नातायत पति कल्याण पुत्र नाथू, निवासी सेदरिया से उत्पन्न हुआ होकर उसके असल पिता कल्याण पुत्र नाथू है जिसका गंगदेव की आराजियात से कोई संबंध नहीं है । उक्त तथ्यों के संबंध में हमने अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया। रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष गंगदेव का पुत्र होने के संबंध में स्वतंत्र गवाहों जगन्नाथ पुत्र कल्याण गुर्जर, उम्र 85 वर्ष,

रामकरण पुत्र भागुता गुर्जर उम्र 80वर्ष व किशनलाल पुत्र चन्दालाल गुर्जर, उम्र 70 के बयान कराये है जिन्होंने अपने शपथ पत्र में अंकित किया है कि रेस्पो0 संख्या 1 की माता मोत्या पुत्री सुखदेव गुर्जर, निवासी नयागांव का विवाह गंगदेव पुत्र गेंदा गुर्जर, निवासी कुरावदा के साथ हुआ था जिसका गौना भी किया गया था । गौना होने के बाद मोत्या पत्नि गंगदेव ने रामबिलास को जन्म दिया । अपने शपथ पत्र में यह भी अंकित किया है कि रामबिलास के जन्म पर न्हावण के उत्सव पर उक्त बयानकर्ता पेरावणी लेकर गंगदेव के घर कुरावदा गये थे । रामबिलास के जन्म के 6 माह बाद गंगदेव ने मोत्या व रामबिलास को मारपीट कर घर से निकाल दिया था। मोत्या द्वारा घर से निकलने के 5–6 वर्ष बाद दूसरा नाता विवाह ग्राम सेदरिया में किया है । उक्त गवाहों के शपथ पत्रों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि सभी गवाह 70–80 वर्ष के होकर स्वतंत्र गवाह है ।

6- पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि रेस्पो0 संख्या 1 के विरूद्ध पुलिस थाना, निवाई में एफ0आई0आर0 दर्ज करवाई गई थी जिसमें जांच में थानाधिकारी ने रेस्पो0 संख्या 1 का डी0एन0ए0 टेस्ट कराया है । State Forensic science laboratory, Rajasthan, jaipur द्वारा भेजी गई डी0एन0ए0टेस्ट क्रमांक 39/2014 दिनांक 25.8.2014 के अनुसार रामबिलास व जगदीश में खूनी रिश्ता होना पाया गया है जिससे भी यह पूर्णतया स्पष्ट है कि रेस्पो0 संख्या 1 रामबिलास मृतक गंगदेव का पुत्र है। हम विद्वान अधी0न्याया0 के इस निष्कर्ष से सहमत है कि यद्यपि उक्त दस्तावेजों के आधार पर उत्तराधिकार घोषित करने का अधिकार सिविल न्यायालय को ही है तथा उसी के आधार पर उत्तराधिकारी का विनिश्चयन होना तय है किन्तु नामांतकरण की कार्यवाही एक सरसरी कार्यवाही है और इसमें किसी पक्ष का टाईटल तय नहीं होता है । नामांतकरण क्लेम निर्धारण करने वाली ऑथोरिटी को चाहिये कि वह यह तसल्ली कर ले कि आवेदक का प्रथमदृष्टया क्लेम बनता है अथवा नहीं । अपीलांटस ने गंगदेव द्वारा अपंजीकृत बक्शीशनामा दिनांक 3.11.2011 के आधार पर गंगदेव की समस्त आराजियात अपने नाम दर्ज करने हेतु निवेदन किया है । इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथमतः तथाकथित बक्शीनामा अपंजीकृत है, द्वितीय उक्त बक्शीनामा मृतक खातेदार गंगदेव की मृत्यु दिनांक 4.11.2011 के एक दिन पूर्व निष्पादित किया गया है जो संदेह पैदा करता है । अपीलांटस तथाकथित अपंजीकृत बक्शीनामे को सक्षम सिविल न्यायालय से प्रोबेट कराये बिना अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर नामांतकरण की कार्यवाही में किसी प्रकार का हक व अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है । पटवारी हल्का ने भी अपनी जांच रिपोर्ट में नामांतकरण की कार्यवाही रामबिलास पुत्र गंगदेव के हक में किया जाना उचित माना है । उपरोक्त सभी तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 9.2.2015 द्वारा मृतक खातेदार गंगदेव की आराजियात बाबत् नामांतकरण रेस्पो0 संख्या 1 रामबिलास पुत्र गंगदेव के पक्ष में पारित करने के आदेश दिये है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रतीत

नहीं होती है । प्रकरण में जहां तक विवादित आराजियात के संबंध में सहायक कलक्टर, निवाई के न्यायालय में राजस्व वाद सख्या 178/2012 के विचाराधीन होने का प्रश्न है, उक्त वाद में होने वाले निर्णय के अनुसार अपीलांटस कार्यवाही कराने हेतु स्वतंत्र है ।

7- उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस अपास्त योग्य तथा तहसीलदार, निवाई, जिला टोंक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 9.2.2015 एवं पारित नामांतकरण संख्या 511 यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 115/2015 (2015/00072) बउनवानी जगदीश बनाम रामबिलास को अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार, निवाई, जिला टोंक द्वारा प्रकरण संख्या 6/2012 बउनवान रि0प0ह0कुरावदा बनाम जगदीश व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 9.2.2015 एवं उक्त निर्णय की पालना में स्वीकृत नामातकरण संख्या 511 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 1.10.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर